संख्याः 257/XVII(4)/2014/90/04

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—समस्त आयुक्त,
गढ़वाल / कुमांयू मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
2—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3—समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4—समस्त नगर निगम / नगर पालिकाध्यक्ष / केन्टोमेन्ट बोर्ड / नगर पंचायत, उत्तखण्ड।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

विषयः—कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी विभाग, भारत सरकार के असाधारण गजट संख्या—18, दिनांक 23 अप्रैल, 2013 (सं0—14, 2013) द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 प्रख्यापित किया गया है, जिसके कम में राज्य में भी उक्त अधिनियम को कियान्वित किया जाना है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिनियम की धारा—4(1)के अनुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर आन्तरिक शिकायत समिति का लिखित आदेश के माध्यम से निम्नानुसार गठित की जाती हैः—

1.	उच्च स्तर पर कार्यरत महिला कर्मी, यदि उक्त कार्यालय में महिला कर्मी अथवा संगठन से प्रीसाईडिंग ऑफिसर नामित की जायेगी।	प्रीसाईडिंग ऑफिसर
2.	महिलाओं के मुद्दों पर समर्पित अथवा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी ज्ञान हो।	02 सदस्य
3.	एन0जी0ओ0 अथवा महिला मुद्दों पर कार्यरत संगठनों से एक प्रतिनिधि अथवा यौन उत्पीड़न की समस्या से भिज्ञ व्यक्ति।	सदस्य

उक्त समिति की आधी सदस्य महिला होगीं। समिति के सदस्य नामित होने की तिथि से अधिकतम 03 वर्ष की अवधि हेतु कार्य करेंगे। नियमावली के प्रस्तर—3(1)के अनुसार गैर सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200/— के भत्ते के हकदार होंगे तथा रेलगाड़ी के थ्री टायर वातानुकूलित या वातानुकूलित बसे से तथा ऑटो रिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो प्रतिपूर्ति के हकदार होगें। जिसका भुगतान संबंधित विभागों के द्वारा किया जायेगा।

जनपद अधिकारी	अधिनियम की धारा–5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी को जनपद अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
स्थानीय शिकायत	धारा–6 के अनुसार प्रत्येक जनपद में जनपद अधिकारी समिति द्वारा "स्थानीय शिकायत समिति" गठित की जायेगी" जहॉ 10 से कम कर्मचारी होने के फलस्वरूप आन्तरिक शिकायत समिति गठित नहीं हो सकी हैं अथवा नियोक्ता अधिकारी के विरूद्व शिकायत हो।
नोडल अधिकारी	धारा–6(2) के अनुसार जनपद अधिकारी प्रत्येक विकास खण्ड तथा तहसील स्तर पर ग्रामीण अथवा जनजातीय क्षेत्रों के लिए तथा वार्ड अथवा निगम स्तर पर नगरीय क्षेत्रों के लिए "नोडल अधिकारी" प्राधिकृत करेंगे। नोडल अधिकारी क्षेत्र स्तर पर शिकायतें प्राप्त करते हुए 07 दिवस की अवधि में स्थानीय शिकायत समिति को प्रेषित करेगें।

4– जनपद अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा–7(1) के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

1.	सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं महिलाओं के मुद्दों पर समर्पित महिला(जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो, समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव)	अध्यक्ष
2.	विकासखण्ड अथवा तहसील अथवा वार्ड अथवा निगम स्तर पर कार्यरत 01 महिला कर्मी।	सदस्य
3.	एन0जी0ओ0 अथवा महिलाओं के मुद्दों पर समर्पित संगठनों के प्रतिनिधियों में से दो सदस्य नामित होंगे जिसमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी।	02 सदस्य
4.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0।	पदेन सदस्य

उपर्युक्त नामित सदस्यों में से 01 कानून का ज्ञान रखने वाली महिला होगी।(जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त हो।) नामित सदस्यों में से 01 महिला अनुसूचित जाति अथवा जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्प संख्यक वर्ग से होनी चाहिये।

स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ता–

1– स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रूपये(रू0 दौ सौ पचास)के भत्ते के लिए हकदार होगें। प्रत्येक विभाग द्वारा इस हेतु बजट का प्राविधान किया जायेगा(नियमावली धारा 5(1)

2– अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के खंड(ख) और खंड(घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न स्थानीय समिति के सदस्य, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दौ सौ रूपये के भत्ते के हकदार होगें और रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलित,

वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होगें।

जिलाधिकारी, उपनियम(1) और उपनियम(2) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगे। उक्त अधिनियम की धारा–9 के अनुसार यौन उत्पीड़न की घटना के तीन माह के भीतर पीड़ित महिला द्वारा आंतरिक समिति को लिखित शिकायत की जायेगी। आंतरिक समिति गठित न होने पर स्थानीय समिति को लिखित शिकायत की जायेगी।

5– लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही–

ऐसे मामलों को छोड़कर जहां सेवा नियम विद्यमान है, जहॉ शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्व अभिकथन साबित हो गए हैं, यह यथास्थिति नियोक्ता या जिलाधिकारी से कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है, जिसमें लिखित रूप से क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, डांटना या निंदा करना, प्रोन्नति रोकना, वेतन बढ़ोत्तरी या वेतनवृद्वि रोकना, प्रत्यर्थी को सेवा समाप्ति करना या परामर्श सत्र में भाग लेने या सामुदायिका सेवा करने का आदेश देना शामिल है(नियमावली के प्रस्तर–9 के अनुसार)।

अधिनियम की धारा–10 के अनुसार आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति जॉच आरम्भ करने से पूर्व पीड़ित महिला एवं द्वितीय को आपसी समझौते का मौका दिया जायेगा। आंतरिक/स्थानीय समिति द्वारा आपसी समझौते का अभिलेख नियोक्ता अथवा जनपद अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

अधिनियम की धारा–11 के अनुसार प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न पाये जाने पर 07 दिवस की अवधि में आंतरिक/स्थानीय समिति द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करायी जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना–अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत शिकायत समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर जायेगी, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होगें:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	ऐसे शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया।	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित हैं।	लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्व कियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता या जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप।

6– अधिनियम की धारा–19(ए)के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं हेतु स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था की जायेगी। धारा–19(सी)के अनुसार अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

7– अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

राज्यपाल/217(1) /XVII(4)/2014/90/04

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासनं।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्तजिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ज्योति मोहन खेरवाल)
अपर सचिव।